



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र द्वारा कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत 43.942 हे. राजस्व वन भूमि कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के अभिमत से सहमत होते हुए रकबा 43.942 हे. वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 14/07/2023

स्थान: नवा रायपुर

(व्ही श्रीनिवास राव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़
Principal Chief Conservator of Forests
Chhattisgarh



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर- 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-271/1689
प्रति,

रायपुर, दिनांक 18/07/2023

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:- Diversion of Additional 43.942 Ha Revenue Forest Land of Kusmunda OC Expansion Project of M/s South Eastern Coalfields Limited for Coal Mining in Korba District of Chhattisgarh.

(Registration No. FP/CG/MIN/41604/2019 dated 18.10.2019)

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 1295 दिनांक 11.05.2023 एवं पत्र क्रमांक 1796 दिनांक 05.07.2023

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके द्वारा प्रकरण में महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा द्वारा कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत 43.942 हे. वन भूमि पर "कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना" हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नवीन चेक लिस्ट अनुसार विवरण निम्नानुसार है:-

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ - 01-04) - आवेदक संस्थान मेसर्स कुसमुण्डा ओपनकास्ट परियोजना, एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र, साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बिलासपुर छ.ग. (भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम) के अंतर्गत कोरबा जिले में सन् 1979 से संचालित है। वर्तमान में इस परियोजना की कोयला उत्पादन क्षमता 50 मिलियन टन (नोर्मेटिव) एवं 62.50 मिलियन टन (पीक) प्रति वर्ष है एवं खदान का मौजूदा परिक्षेत्र 1631.953 हेक्ट. है। इस परियोजना का विस्तारीकरण कुल 2991.943 हेक्ट. (अतिरिक्त 1359.990 हे.) में प्रस्तावित है जिसमें अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन करना प्रस्तावित है। वन भूमि की मांग न्यूनतम होने तथा वन भूमि अर्जन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने के कारण आवेदित राजस्व वन भूमि का अर्जन करने हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 05 से 09) - आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा (छ.ग.) को वनमण्डल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए पंजीयन क्रमांक FP/CG/MIN/41604/2019 दिनांक 18.10.2019 आबंटित किया गया है। पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि वनमण्डलाधिकारी कटघोरा को जमा कर दिया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव 10 से 12) - आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा के कटघोरा वन मंडल अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के

लिए ग्राम रिसदी, पडनिया, पाली, सोनपुरी, गेवरा, जटराज, खैरभावना, खोडरी, चुरैल एवं आमगोंव में सम्मिलित वनक्षेत्र का विवरण की सत्यापित प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 4. गैर वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 13) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा के कटघोरा वन मंडल अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए कुल गैर वनक्षेत्र का विवरण की सत्यापित प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 5. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 14) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा (छ.ग.) वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत परिक्षेत्र के राजस्व वन भूमि 43.942 हे. में कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का विस्तारीकरण हेतु राजस्व वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट 1:50000 स्केल पर मानचित्र की सत्यापित प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 6. वनक्षेत्र का इण्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 15) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा (छ.ग.) वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत परिक्षेत्र के राजस्व वन भूमि 43.942 हे. में कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का विस्तारीकरण हेतु राजस्व वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का इंडेक्स मैप 1:10000 स्केल पर मानचित्र की सत्यापित प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र -4 में प्रस्ताव (पृष्ठ 16 से 23) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा, वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रपत्र 4 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भू-सतह उपयोग हेतु वन भूमि के लिये राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की धारा-2 अंतर्गत मंजूरी /स्वीकृति लेने का प्रारूप की सत्यापित प्रति संलग्न है। संलग्न किये गए प्रमाण पत्रों /दस्तावेजों की ब्यौरा सूची पृष्ठ क्रमांक 23A में संलग्न है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 24 से 90) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा (छ.ग.) वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 91 से 92) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा के कुसमुण्डा ओपनकास्ट परियोजना द्वारा आवेदित राजस्व वन भूमि की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निर्धारित की जाने वाली व्यय की राशि का भुगतान करने हेतु वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 93) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम होने तथा वन भूमि अर्जन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने के कारण आवेदित राजस्व वन भूमि का न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 94 से 109) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा (छ.ग.) के कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार परियोजना (कोयला उत्पादन क्षमता 50 मिलियन टन (नोर्मेटिव) एवं 62.50 मिलियन टन (पीक) प्रति वर्ष) को पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार द्वारा पत्र क्र. J-11015/176/2014-IA-II(M) दिनांक 10.01.2020 के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रतिलिपि संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 110 से 138) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा के कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार परियोजना हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के अंतर्गत 1449 नग वृक्षों के विदोहन का गणना पत्रक/विदोहन योजना की सत्यापित प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 13. कास्ट / बेनिफिट ऐनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 139 से 141) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित वन भूमि का कुल लागत लाभ विश्लेषण की सत्यापित प्रति संलग्न है। उपरोक्त प्रस्ताव का कुल लागत लाभ विश्लेषण का Ratio 1:40 है।

बि.क्र. 14. चयनित गैर वनक्षेत्र / निजी भूमि (पंचशाला खसरा, मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) (प्रस्ताव पृष्ठ 142 से 192) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए चयनित गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि/राजस्व वनक्षेत्र संलग्न प्रपत्र में अधिसूचना मय नक्शा प्रस्ताव की चाही गई 3 प्रतियाँ संलग्न की गई हैं।

बि.क्र. 15. गैर वनक्षेत्र के आस-पास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 193 से 196) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा (छ.ग.) वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए गैर वनक्षेत्र के आस-पास क्षेत्र के नक्शे की सत्यापित प्रति संलग्न हैं।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र, अक्षांश, प्रजाति विवरण सहित) (प्रस्ताव पृष्ठ 197 से 360) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित खैरागढ़ वनमण्डल, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.) में 47.884 हे. बिगड़े वनभूमि तथा कवर्धा वनमण्डल, जिला कवर्धा में 40.00 हे. बिगड़े वनभूमि का विस्तृत ब्यौरा सहित शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र, अक्षांश, प्रजाति विवरण सहित सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 353 से 357) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए चयनित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र के प्रस्तावित कक्षों में क्षतिपूर्ति अंतर्गत सिंचित वृक्षारोपण के कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 358 से 359) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा प्रस्ताव के संबंध में कोई उल्लंघन कार्य नहीं करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा का हस्ताक्षरित वचन पत्र जमा किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 360) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 361)– आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही निरंक है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 362 से 367) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 368 से 411) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए तैयार किए गए कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की सत्यापित प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 412 से 430) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित प्रोजेक्ट के विस्तृत रिक्लेमेशन प्लान की सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 431 से 471) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित प्रोजेक्ट के माईनिंग प्लान को सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) (भारत सरकार का एक उद्यम) द्वारा तैयार किया गया है एवं कोल ईंडिया लिमिटेड बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसकी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 472 से 545) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित प्रोजेक्ट का व्यवस्थापन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति एवं कोल ईंडिया लिमिटेड की विस्तृत पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना नीति 2012 की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 546 से 625) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित चाहे गए प्रपत्र में पूर्ण कर संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण –पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 626) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थल नहीं है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 627 से 675) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए ग्राम पंचायत रिसदी, पड़निया, पाली, जटराज, सोनपुरी, खोड़री, खैरभावना, आमगांव एवं चुरैल तथा गेवरा का नगर पंचायत एवं नगर पालिका कोरबा का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 676) – कोरबा जिले की कुल वनभूमि रकबा 205090.100 हे. है।

बि.क्र. 30. – वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 677 से 678) – कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृत 31 प्रकरणों में कुल 3774.223 हे. वन भूमि प्रभावित है।

बि.क्र. 31. – वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 679) – कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत इस श्रेणी के 2190.175 हे. वन भूमि प्रभावित है।

बि.क्र. 32 प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 680) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा (छ.ग.) वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है और ना ही प्रस्तावित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थित नहीं है और ना ही प्रस्तावित है। प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शों में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 681 से 691) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का 15 कि.मी. परिधि का सत्यापित नक्शा संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 692 से 694) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए कुल 142.257 हे. राजस्व वन भूमि का वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। प्रस्तावित 43.942 हे. राजस्व वन भूमि उपरोक्त 142.257 हे. राजस्व वन भूमि में सम्मिलित है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 695 से 701) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए कुल 142.257 हे. राजस्व वन भूमि का राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। प्रस्तावित 43.942 हे. राजस्व वन भूमि उपरोक्त 142.257 हे. राजस्व वन भूमि में सम्मिलित है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 702 से 703) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र जमा किया है।

बि.क्र. 37. CLEARANCE UNDER FC ACT, 1980 DEPOSITION OF FUNDS WITH THE AD-HOC CAMPA : REMITTANCES OF PRECEDE 2ND STAGE CLEARANCE (प्रस्ताव पृष्ठ 704 से 705) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत द्वितीय चरण स्वीकृति से पहले प्रेषित राशि कैम्पा में जमा करने हेतु वचन पत्र जमा किया है।

बि.क्र. 38. A DETAILED NOTE ON SOIL PRODUCTIVITY OR THE LACK OF IT (प्रस्ताव पृष्ठ 706 से 739) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए विस्तृत मृदा संरक्षण योजना जमा किया है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 740 से 741) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र जमा किया है।

बि.क्र. 40. DIVERSION OF LARGE AREA (MORE THEN 500 HA) OF FOREST LAND FOR MINING AND OTHER NON-FORESTRY PURPOSES UNDER THE FOREST (CONSERVATION) ACT 1980 STIPULATION OF ADDITIONAL CONDITION (THE USER AGENCY SHALL ESTABLISH AND OPERATE A VOCATIONAL TRAINING INSTITUTE) (प्रस्ताव पृष्ठ 742) – प्रस्ताव के लिए आवेदित वनभूमि की माँग न्यूनतम है एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं संचालन की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 743 से 745) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा को वनमण्डल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन

कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए पंजीयन क्रमांक FP/CG/MIN/41604/2019 दिनांक 18.10.2019 आबंटित किया गया है। पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि वनमण्डलाधिकारी कटघोरा को जमा हो चुकी है। चालान की प्रतिलिपि संलग्न है।

बि.क्र. 42. वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 746 से 747) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वनमण्डल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए तैयार किए गए वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत लेने हेतु वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 43. विधुत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा ग्रीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 748)– आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा वनमण्डल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव में अन्य (Misc) जानकारी का विवरण (प्रस्ताव 749 से 782) – आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वनमण्डल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए शासन द्वारा सभी निर्धारित प्रतिरोपित शर्तों का पालन करने हेतु वचन पत्र जमा किया गया है। इसके अलावा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर उपरोक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेजों जैसे Land use plan (1:4000 scale), ई.डी.एस के जवाब, आवेदन Form-A की प्रति, नामांकन पत्र Form 2D, नमूना का हस्ताक्षर आदि की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 03 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-

1. प्रस्ताव 02 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 2 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग-4

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)


अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/331-271/1690
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 18/07/2023

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, कटघोरा वन मंडल, कटघोरा, छत्तीसगढ़।
3. महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़।


अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़